बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संख्या–मं0मं0–01 / आर–53 / 2005..3209 दिनांक..6|12|05

अधिसूचना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड –3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा कार्यपालिका नियमावली की तृतीय अनुसूची का कमांक–35 को तत्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित द्वारा उपांतरित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(i) वैसी सभी नयी योजना जिसमें पदों का सृजन / उत्क्रमण तथा वाहन क्रय का प्रस्ताव शामिल हो।

(ii) सभी योजनाएँ जिसमें पदों के अवधि विस्तार की अपेक्षा हो।

(iii) दस करोड़ रूपये से अधिक लागत की नयी योजना।

(iv) नये स्वशासी संगठन के अधिष्ठापन का प्रस्ताव।

(v) बीस लाख से अधिक डी0 एफ0 आर0 एवं निवेश–पूर्व क्रियाकलापों पर व्यय।

प्राक्कलन का पुनरीक्षण

(vi) दस करोड़ रूपए से ज्यादा लागत की योजनाओं के प्रथम पुनरीक्षण के प्रस्ताव जिसमें वैधानिक लेवी / करों, विनिमय दरों, मूल्य–वृद्वि के अतिरिक्त अन्य कारणो के चलते 20% से अधिक तक की वृद्धि हो।

(vii) द्वित्तीय या उसके बाद के पुनरीक्षण प्रस्ताव जिसमें वैधानिक लेवी / करों, विनिमय दरों, मूल्य दरों में वृद्वि के अतिरिक्त अन्य कारणो के चलते चालू अनुमोदित लागत से 5% से अधिक वृद्वि होती हो।

गैर योजना मद

(viii) '25 लाख रूपये से अधिक अनावर्ती व्यय अथवा 10.00 लाख रूपये से अधिक वार्षिक आवर्ती व्यय वाला गैर–योजना मद'।

नोट – (i) वैधानिक लेवी/करों में प्रोजेक्ट ऑथोरिटिज द्वारा भुगतेय केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा लगाये गये आयात–निर्यात शुल्क शामिल हैं, लेकिन जल, विद्युत शुल्क एवं पी० ओ० एल० दरों में वृद्धि शामिल नहीं है।

नोट :– (ii) जहाँ तक पच्चीस लाख रूपये से कम अनावर्ती व्यय अथवा दस लाख रूपये से कम वार्षिक आवर्ती व्यय वाला गैर योजना मद की स्वीकृति का प्रश्न है, वित्त विभाग द्वारा अलग से इस संबंध में निदेश निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव

3209

ज्ञापांक –मं०मं०–01/आर–53/05 पटना/दिनांक......6.....दिसम्बर, 2005

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्रिगण/सभी राज्य मंत्रिगण के आप्त सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

(शशि शेखर शर्मा)
सचिव

3209

ज्ञापांक –मं०मं०–01/आर–53/05 पटना/दिनांक......6......दिसम्बर, 2005

प्रतिलिपि – सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शशि शेखर शर्मा)
सचिव

3209

ज्ञापांक –मं०मं०–01/आर–53/05 पटना/दिनांक......6......दिसम्बर, 2005

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर उसकी 300 प्रतियाँ वित्त प्रशाखा– 4 को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(शशि शेखर शर्मा)
सचिव